डाक-व्यय की पूर्व अदायगी ... डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/- डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 1997—वैशाख 26, शके 1919

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अंतिम नियम.	

भाग 4 (क)—कुछ नहीं

भाग 4 (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

नियम

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 1997

क्र. 2 (अ) 614-92-ब (4) दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम

बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा गठित की गई चयन समितियां;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भरती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक माप तौल के पश्चात् लिखित परीक्षा;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या किसी जाति, मूलवंश या जाति के भीतर कोई समूह;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का कोई भाग या जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर कोई समूह;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा;

(ट) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार.

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने पर अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थाई आधार पर या अस्थाई आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भरती की पद्धति.**—

(1) इन नियमों के प्रारंम्भ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित पद्धति द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भरती द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची चार के कालम दो में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो, मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में वर्णित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भरती सम्बन्धी उन पद्धतियों से भिन्न जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसी अन्य पद्धति अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) भरती के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को, चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये प्रतियोगी परीक्षा हेतु सरकार द्वारा विहित किये गये प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करना चाहिये.

(6) (1) अभ्यर्थी को भरती हेतु आवेदन प्रत्र के प्रारुप में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वह किस पद हेतु इच्छुक है केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर, जिन्होंने विशिष्ट रूप से तकनीकी पदों, अर्थात् उप निरीक्षक " रेडियो"/अंगुलि-चिन्ह/प्रश्नाधीन दस्तावेज पर भरती के लिये अपनी सहमति अभिव्यक्त की है तथा जो अनुसूची-तीन में वर्णित अर्हताएं रखते हों, विचार किया जायेगा.

(2) महिला अभ्यर्थी केवल महिला उप निरीक्षक के पदों के लिये भरती की पात्र होगी.

(7) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र के प्रारुप में गलत जानकारी देने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने पर उसे (अभ्यर्थी को) अनर्ह समझा जायेगा. ऐसा कृत्य करने पर अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति (नियोजन) में या सेवा में निरंतर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा तत्काल, बिना कोई सूचना दिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी.

(8) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

(एक) **शारीरिक माप का मान.**—अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार संचालित किया जाएगा.

टिप्पणी.—शारीरिक मान के संबंध में किसी विवाद की दशा में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(दो) लिखित परीक्षा.—

(क) हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता परीक्षण हेतु लिखित परीक्षा कम से कम 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी, जिसमें हिन्दी के 70 अंक और अंग्रेजी के 30 अंक होंगे.

(ख) सामान्य ज्ञान परीक्षा, 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी.

(ग) गणित, भौतिकी और रसायन में परीक्षा, 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी. यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी जिन्होंने अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट उप निरीक्षक (रेडियो)/(अंगुलि चिन्ह)/(प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भरती के लिए आवेदन किया है.

टिप्पणी.— खण्ड (दो) के उप खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है.

प्रथम चरण की परीक्षाओं में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक् से सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर की एक तथा उप निरीक्षक (तकनीकी) की पृथक् से एक और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा. अंतिम अभ्यर्थी जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं, को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाती हो.

(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षण.**—यह परीक्षण (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है. यह परीक्षण 100 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी :—

(क)	लम्बी कूद	20 अंक
(ख)	ऊंची कूद	20 अंक
(ग)	गोला फेंक	20 अंक
(घ)	100 मीटर दौड़	20 अंक
(ङ)	1500 मीटर दौड़	20 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंकों के विस्तृत विवरण अनुसूची पांच में विनिर्दिष्ट किये गये हैं—

(च) **साक्षात्कार.**— साक्षात्कार 50 अंकों का होगा.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती की पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें.**—अभ्यर्थी को परीक्षा में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु—**

(क) परीक्षा प्रारम्भ होने की तारीख के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वियन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह अधिकमत आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

स्पष्टीकरण.—शब्द "छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छह मास तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी बशर्ते इसके पणिामस्वरूप जो आयु हो वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं हो.

स्पष्टीकरण.— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कलावधि तक सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्शेसन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भरती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भरती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(3) संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(4) अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किये गये अधिकारी;

(घ) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(छ) "विक्रम पुरुस्कार" प्राप्त खिलाड़ी अभ्यर्थियों के संबंध में भी अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ज) इन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हों, अधिकतम आयु सीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा.

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी—(1) उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिए सम्मिलित किया गया है वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी— (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शारीरिक अर्हता.**—अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं अवश्य ही होनी चाहिये.—

(क)	ऊंचाई	167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला उप निरीक्षक के लिये)
(ख)	सीना	बिना फुलाये 81 सेन्टीमीटर फुलाने पर 86 सेन्टीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना आवश्यक है, इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए;

(घ) अभ्यर्थी में "नाकनी", "फ्लेट फुट" एवं कोई दृष्टिदोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सक दृष्टया योग्यता (मेडीकली फिट) होना आवश्यक है.

(3) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये परन्तु :—

(क) अपवादिक मामलों में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं

द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिए पात्र बनाती हो, और

(ख) समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा/चयन में सम्मिलित कर सकेगी, जो अन्यथा अर्ह हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हों.

9. **निरर्हता.**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिए उसे अनर्ह बनाने वाला माना जाएगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का विनिश्चिय अंतिम होगा.**—परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में, किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का विनिश्चिय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती** —

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से होगी जैसी कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करे.

(2) चयन द्वारा

(एक) अनुसूची-दो में दर्शाई गई सेवा में सम्मिलित पदों की भरती के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों से किया जावेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) सेवा में सम्मिलित पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर किया जावेगा.

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) कुल पदों के 5% पद विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

12. समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :—

(1) समिति, अपने द्वारा निश्चित किये गये स्तर के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाएं रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूची को प्रकाशित भी किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सूची में से उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—सीधी भरती के लिए अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट), लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. नियुक्तियां, अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अधिमान तथा ज्येष्ठता के आधार पर की जाएंगी, परन्तु प्लाटून कमांडर/सूबेदार के पदों के लिये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 60% अंक अभिप्राप्त किए हों. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

14. परिवीक्षा :—

(1) सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर सफल अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(3) परिवीक्षा कालावधि में नियुक्ति के पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों में विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिया जायेगा.

(4) प्रशिक्षण में प्रवेश लेने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा विहित की गई वर्दी की अनुमानित लागत और अवधान द्रव्य (काशन मनी) जमा करना होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल अवधान द्रव्य (काशन मनी) जमा करना होगा.

(5) उन अभ्यर्थियों की, जो विहित मान प्राप्त करने में असफल रहते हैं, परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी. असफलता पर सेवा से बर्खास्तगी भी की जा सकती है.

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—

(1) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे. तथापि, यदि पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़ कर नाम निर्देशित किये गए अन्य सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो समतुल्य रैंक के एक और अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या अपेक्षित सीमा तक बढ़ाई गई समझी जाएगी.

(2) समिति की बैठक सामान्यतया कम से कम एक वर्ष में एक बार होगी.

(3) ऐसे पदों में, जिनमें अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति की प्रतिशतता 25% या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों के 16% तथा 23% रिक्त स्थान अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जो नियम 16 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र है.

(4) आरक्षित रिक्तियों में, पदोन्नतियां करने के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

16. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :—

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को, उन पदों पर, जिनसे के पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा, चाहे स्थानापन्न या अधिष्ठायी रूप से, पूर्ण कर ली हो जितनी की अनुसूची-चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों :

(2) उन मामलों में जहां पदोन्नति उपयुक्तता के अध्यधीन रहते हुए, "ज्येष्ठता सह योग्यता" के आधार पर अथवा जिनमें अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़कर, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी हो वहां कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा. प्रत्येक संवर्ग के केवल उतनी ही संख्या में शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जो आगामी एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त हों.

17. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :—

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर के नियम 16 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति ने सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया हो. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25% व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन, ज्येष्ठता के आधार पर होगा जिसमें गुणागुण तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर सम्यक ध्यान रखा जाएगा.

(3) सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम, प्रत्येक ऐसी चयन सूची तैयार किये जाने के समय, अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण :—ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया जा सका हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए इसका कारण अभिलिखित करेगी.

18. चयन सूची :—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और, जब तक वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह (नियुक्ति प्राधिकारी) प्रस्तावित परिवर्तनों को समिति को सूचित करेगा तथा समिति की टिप्पणियों (समीक्षा) यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को अंतिम रूप से ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हों, के साथ अनुमोदित करेगा जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित पदों पर अनुसूची-चार के कालम (2) में वर्णित पदों में सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष के लिये या तब तक प्रवृत्त रहेगी. जब तक कि नियम 17 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्य के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेंगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि रिक्त स्थान तीन मास से अधिक के लिये संभाव्य नहीं हैं.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई गिरावट आ गई है, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त बनाती हो.

20. **निर्वचन** :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण** :—इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसको ये नियम लागू होते हैं ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. माथुर, प्रमुख सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	नियुक्ति प्राधिकारी (6)
1.	निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक	1032	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1640—60—2600—75—2900	पुलिस महानिरीक्षक
2.	कम्पनी कमान्डर	248	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1640—60—2600—75—2900	तदैव
3.	सूबेदार	74	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340—60—2640	तदैव
4.	उप निरीक्षक	3237	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340	उप पुलिस महानिरीक्षक
5.	उप निरीक्षक (रेडियो)	159	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340	तदैव
6.	उप निरीक्षक (अंगुलि चिन्ह)	39	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340	तदैव
7.	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	8	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340	तदैव
8.	महिला उप निरीक्षक	65	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340	तदैव
9.	प्लाटून कमांडर	738	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	1400—40—1440—50 2340	तदैव
10.	सहायक उप निरीक्षक	3636	राज्य पुलिस तृतीय श्रेणी	1320—40—1440—50 2040	तदैव

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

	विभाग का नाम	सम्मिलित पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भरती द्वारा, नियम 6 (1) (क) देखिए	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, नियम 6 (1) (ख) देखिए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गृह (पुलिस) मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रित सेवा	निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक	1032	-	100 प्रतिशत
2.		कम्पनी कमान्डर	248		100 प्रतिशत
3.		सूबेदार	74	100 प्रतिशत	
4.		उप निरीक्षक	3237	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
5.		उप निरीक्षक (रेडियो)	159	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6.		उप निरीक्षक (अंगुलि चिन्ह)	39	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
7.		उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	8	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
8.		महिला उप निरीक्षक	65	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
9.		प्लाटून कमांडर	738	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
10.		सहायक उप निरीक्षक	3636	-	100 प्रतिशत (80% प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक की विभागीय परीक्षा से एवं 20% अच्छे अभिलेख के आधार पर और 15 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त)

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

सेवा का नाम	अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	1	सूबेदार	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य	
गृह (पुलिस) विभाग	2	उप निरीक्षक	18	28	—तदैव—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	3	उप निरीक्षक (रेडियो)	18	28	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रीकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा.	
गृह (पुलिस) विभाग	4	उप निरीक्षक (अंगुलि चिन्ह)	18	28	किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि.	
गृह (पुलिस) विभाग	5	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	18	28	—तदैव—	
गृह (पुलिस) विभाग	6	महिला उप निरीक्षक	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि	
गृह (पुलिस) विभाग	7	प्लाटून कमांडर	18	28	—तदैव—	

टिप्पणी.—एन.सी.सी. "C" प्रमाण पत्र धारक और एल.एल.बी. की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रत्येक के लिए 5 अंक बोनस के दिये जायेंगे. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य.

(क) इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी संस्था या विश्वविद्यालय से तीन वर्ष का डिप्लोमा, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो.

(ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से इन विषयों में से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य.

अनुसूची—चार

(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना हो	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना हो	कालम (3) में उल्लिखित पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता के संबंध में कालम (2) में उल्लिखित पद पर न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गृह पुलिस विभाग	उप निरीक्षक	निरीक्षक	8 वर्ष सीधी भर्ती	अध्यक्ष-पुलिस महानिरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6 वर्ष सीधी भर्ती :— वे जिन्होंने नक्सलवादी क्षेत्रों में लगातार छह वर्ष की सेवा की हो. 5 वर्ष विभागीय पदोन्नति 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति :— वे जिन्होंने नक्सलवादी क्षेत्रों में लगातार चार वर्ष की सेवा की हो.	दो सदस्य उप पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग (पुलिस महानिदेशक, म. प्र. द्वारा नाम निर्देशित)
	प्लाटून कमांडर	कम्पनी कमांडर	—तदैव—	तीन उप पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग के अधिकारी
	सहायक उप निरीक्षक	उप निरीक्षक	तीन वर्ष	उनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष अन्य दो सदस्य
	सहायक प्लाटून कमांडर	प्लाटून कमांडर	तीन वर्ष	(पुलिस महानिदेशक, म.प्र. द्वारा नाम निर्देशित)
	सूबेदार	रक्षित निरीक्षक	तीन वर्ष	अध्यक्ष-पुलिस महानिरीक्षक दो सदस्य उप पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग के (पुलिस महानिदेशक, म. प्र., द्वारा नाम निर्देशित)

अनुसूची—पांच

[नियम 6 का उप नियम (8) देखिये]

अनु क्र. (1)	मद (आयटम) (2)	पुरुष अभ्यर्थी (3)	अंक (4)	महिला अभ्यर्थी (5)	अंक (6)	टिप्पणियां (7)
1.	लम्बी कूद	(तीन प्रयास)	20	(तीन प्रयास)	20	
		12 फिट (3.66 मीटर)	00	8 फिट (2.44 मीटर)	00	
		14 फिट (4.27 मीटर)	04	10 फिट (3.05 मीटर)	04	
		16 फिट (4.88 मीटर)	08	12 फिट (3.66 मीटर)	08	
		17 फिट (5.18 मीटर)	12	13 फिट (3.96 मीटर)	12	
		18 फिट (5.49 मीटर)	16	14 फिट (4.27 मीटर)	16	
		19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	20	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	20	
2.	ऊंची कूद	(तीन प्रयास)	20	(तीन प्रयास)	20	
		4 फिट (1.22 मीटर)	00	3 फिट (0.91 मीटर)	00	

(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4 फिट 2 इंच (1.27 मीटर)	04	3 फिट 2 इंच (0.97 मीटर)	04	
	4 फिट 4 इंच (1.32 मीटर)	08	3 फिट 4 इंच (1.02 मीटर)	08	
	4 फिट 6 इंच (1.37 मीटर)	12	3 फिट 6 इंच (1.07 मीटर)	12	
	4 फिट 8 इंच (1.42 मीटर)	16	3 फिट 8 इंच (1.12 मीटर)	16	
	5 फिट 10 इंच (1.78 मीटर) या अधिक	20	4 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	20	
3.	गोला फेंक (एक प्रयास) वजन 16 पौंड	20	(एक प्रयास) वजन 8 पौंड	20	
	4 मीटर	00	4 मीटर	00	
	5 मीटर	04	5 मीटर	04	
	6 मीटर	08	6 मीटर	08	
	7 मीटर	12	7 मीटर	12	
	8 मीटर	16	8 मीटर	16	
	9 मीटर या अधिक	20	9 मीटर या अधिक	20	
4.	दौड़ 100 मीटर	20	दौड़ 100 मीटर	20	
	12.5 सेकंड या कम	20	14.5 सेकंड या कम	20	
	13.5 सेकंड	16	15.5 सेकंड	16	
	14.5 सेकंड	12	16.5 सेकंड	12	
	15.5 सेकंड	08	17.5 सेकंड	08	
	16.5 सेकंड	04	18.5 सेकंड	04	
	20 सेकंड	00	22 सेकंड	00	
5.	दौड़ 1500 मीटर	20	दौड़ 1500 मीटर	20	
	4. मिनिट 20 सेकंड	20	5 मिनिट	20	
	4. मिनिट 30 सेकंड	16	5 मिनिट 10 सेकंड	16	
	4. मिनिट 40 सेकंड	12	5 मिनिट 20 सेकंड	12	
	4. मिनिट 50 सेकंड	08	5 मिनिट 30 सेकंड	08	
	5 मिनिट	04	5 मिनिट 40 सेकंड	04	
	5 मिनिट 30 सेकंड	00	6 मिनिट 15 सेकंड	00	

पुरूष :— सूबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (संवर्ग) और प्लाटून कमाण्डर पद के लिए शारीरिक समर्थता परीक्षण हेतु पुरूष अभ्यर्थी पात्र होंगे.

स्त्री/महिला :—महिला उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक समर्थता परीक्षण हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे.

Bhopal, the 12th May 1997

No. 2(a) 614-92-B(4) II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules realting to the recruitment to the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Service, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the authority specified in Schedule-I;

(b) "Committee" means the selection committees constituted by the State Government;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment conducted under rules 11 of these rules;

(d) "First stage" means measurement of physical standard followed by written examination;

(e) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(f) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(g) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(h) "Other Backward Classes" means the other backward class of citizens as specified by the State Government-Vide Notification No. F-85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended time to time;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(j) "Service" means the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Service;

(k) "Second Stage" means physical proficiency test followed by interview.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.**—The service shall consist of the following persons namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in the Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.—(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by selection, through competitive examination.

(b) By promotion of such members of service, as are specified in Column 2 of Schedule. IV.

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or Clause (c) of sub-rule (I) shall not, at any time exceed the percentage mentioned in Schedule II of the number of posts specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for the purpose of filling any vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigency of the service so require, he may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in these behalf prescribe.

(5) Candidates desiring for recruitment should apply by submitting an application in the form prescribed by the Government to the District Superintendent of Police concerned for competitive examination to be admitted in the selection procedure.

(6) (i) The candidate must specifically mention, in the application form for recruitment the name of the post for which he desires. The name of only such candidates who have specifically expressed their consent for recruitment to posts to the technical Sub Inspector (Radio)/(Finger Print)/(Questioned Documents) and who possess qualification mentioned in Schedule-III shall only be considered.

(ii) Female candidates shall be eligible for recruitment only for the posts of Lady Sub-Inspectors.

(7) Giving wrong information or hiding of any factual information in application form by the applicant shall be deemed to be a disqualification. On such act the candidate shall have no right of appointment or continue in service under the Government and his service shall be terminated forthwith by the Appointing Authority without giving any notice.

(8) The procedure of selection by competitive examination under clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows :—

(i) **Measurement of physical standard** :—The physical test of the candidate shall be conducted according to the minimum qualification as specified in sub-rule (2) of rule 8.

Note :—In case of any dispute with regard to physical measurement, the decision of the Chief Medical Officer of the District shall be final.

(ii) **Written examination** :—(a) The duration of written examination, will be two hours, and to test the proficiency in Hindi and English shall be of hundred marks *i.e.* Hindi 70 marks, English 30 marks.

(b) General Knowledge examination shall be of 100 marks and the duration of which will be 2 hours.

(c) Mathematics, Physics and Chemistry examination shall be of 100 marks and the duration of which will be 2 hours. This examination shall be compulsory only for such candidates who have applied for recruitment for the post of Sub Inspector (Radio)/(Finger Print)/(QD) as specified in Schedule-III.

Note :—Written examination under sub clause (a) and (b) of clause (ii) is compulsory for all candidates.

By adding the marks obtained in the examination of the first stage a separate merit list one for Subedar, Sub Inspector and Platoon Commander and another for Sub Inspector (Technical) shall be prepared in which the candidates numbering five times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last candidate, on whom five-times-number is completed and all those candidates who obtained marks more than or equal to this candidate shall be admitted to the second stage irrespective of the number exceeding the stipulated five times number.

(iii) **Physical Proficiency Test.** :—This test is compulsory for all candidates. This test shall be of 100 marks and shall include following items—

(a)	Long Jump	20 marks
(b)	High Jump	20 marks
(c)	Shot Put	20 marks
(d)	100 meter race	20 marks
(e)	1500 meter race	20 marks

Details of statement of marks to be awarded in each event are specified in Schedule V.

(iv) **Interview** :—Personal Interview shall be of 50 marks.

7. **Appointment to the service.**—All appointments to the service after coming into force of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of candidates for direct recruitment.**—In order to be eligible for competing in the examination a candidate shall have to satisfy the following conditions, namely :—

Age—(a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule III and not attained the age specified in column (5) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respet of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government, to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 36 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 36 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the Project Implementation Committee.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in the number of employees not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :—The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy Unit or due to normal reduction in the number of employees not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concession.

(2) Ex-serviceman recruited for the second time and discharged on :—

(a) Completion of short-term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(4) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(d) The general upper age limit shall be relaxable up to 35 years in respect of widow, destitutes or divorced women candidates;

(e) The upper age limit shall also be relaxed upto two years in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(f) The General upper age limit shall be relaxed upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department;

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of "Vikram Award" holder candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 36 years of age in respect of candidate who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Board;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 36 years.

Note (1)—Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Note (2)—In no other case these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(2) **Physical Qualification** :—Candidate must have the following physical qualifications :—

(a) Height : 167.5 cms. or more
152.4 cms. or more (for woman Sub-Inspector only)

(b) Chest : 81 cms without expansion 86 cms. after expansion
(Candidate should attain the difference of 5 cms, between unexpanded and expanded chest. There should be no relaxation on this subject).

(c) Candidate should not be physically handicapped.

(d) Candidate should not have "Knock-Knee", "Flat Foot" and should not have any vision defect and should be medically fit.

(3) **Educational Qualification** :—A Candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in the Schedule III provided that—

(a) In exceptional cases the Committee may on recommendation of the appointing authority treat as qualified any candidate who though not possessing any qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Committee justifies the consideration of the candidate as eligible for examination/selection.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities, being universities not specifically recognized by Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Committee.

9. **Dis-qualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to dis-qualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Decision of Committee about eligibility of candidates shall be final.**—The decision of the Committee regarding eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Committee shall be admitted to the examination/interview.

11. (1) **Direct Recruitment through competitive examination.**—A competative examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority from time to time may determine.

(2) By selection—

(i) the selection of candidates for recruitment to the posts included in the service as shown in Schedule II shall be held at such intervals as the appointing authority may from time to time determine.

(ii) The selection of candidates for the posts included in the service shall be made by interviewing them by the selection committee.

(3) Out of the available vacancies for direct recruitment, posts shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Caste, Scheduled tribes and Backward Classes in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Picchade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the order or instructions issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled caste, Scheduled Tribes and Other Backward Class shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes or other Backward Classes declared by the appointing authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) 5 percent of the total posts shall be reserved for the departmental candidates.

12. **List of candidates recommended by the Committee.**—(1) The Committee shall forward to the appointing authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment of the Service from the select list.**—Final merit list for direct recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination, physical proficiency test and interview. Appointment shall be made in order of seniority on the basis of preference given by candidate and availibility of posts provided that only those candidates will be considered for the post of Platoon Commander/Subedar who obtain a minimum of 60% marks in the physical proficiency test.

The select list issued by the Appointing Authority shall remain valid for a period of one year from the date of its issue.

14. **Probation.**—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) Character verification shall be done in respect of each selected candidate. A successful candidate whose name appears in the select list shall be appointed on probation of two years only, provided that the verification report is favourable.

(3) Prescribed Training Course shall be imparted after appointment in probation period in specified training institutions.

(4) On admission to training, each candidate will have to deposit estimated cost of the unifrom articles and caution money as prescribed by the State Government. Candidates belonging to ST/SC/OBC will have to deposit only the caution money.

(5) Probation period could be extended if the candidate fails to attain prescribe standards. Failure would entail even discharge from service.

15. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting of the member mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. However, if there is no member representing Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes among the members nominated for the departmental promotion committee other than the presiding officer, then another officer of an equivalent rank will be included in the DPC and the strength of DPC will be deemed to be extended to the required limit.

(2) The Committee shall ordinarily meet at least once an year.

(3) 16 per cent and 23 per cent of the available vacancies for promotion in such posts in which the percentage of promotion is 25% or more as specified in Schedule II, shall be reserved for candidate belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe who are eligible for promotion in accordance with provisions of rule 16.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government, in the General Administration Department from time to time.

16. **Conditions of eligibility for promotion.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of considerations in accordance with provision of sub-rule (2).

(2) There shall be no zone of consideration, in those cases where the promotion is to be made on the basis of seniority cum merit subject to fitness or on the basis of seniority excluding the persons found unfit. Only such number of cases of Government servants will be taken into consideration as are sufficient to fillup the vacancies occuring in each category during the next one year.

17. **Preparation of list of suitable candidates.**—(1) The departmental promotion committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 16 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on accout of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25 per cent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforseen vacancies occuring, during the couse of aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on Seniority with due regard to merit and suitability in all respects.

(3) The names of the officials included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list;

Explanation :—A person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for proposed supersession.

18. **Select list.**—(1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Committee alongwith other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the Committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the committee may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column 2 of Schedule IV to the posts mentioned in column 3 of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for one year or until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 17 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the departmental promotion committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the service from the select list.**—(1) Appointment of the employees included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list :

Provided that, where administrative excigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the departmental promotion committee before the appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules ane in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D. S. MATHUR, Principal Secy.

SCHEDULE I
(See Rule 5)

Classification in Service, Pay Scales and number of Posts Existing in the service.

S.No	Name of post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Inspector/ Reserve Inspector	1032	S. P. S/ Class 3	1640—60—2600—75—2900	Inspector General of Police
2	Company Commander	248	S. P. S. Class 3	1640—60—2600—75—2900	—do—
3	Subedar	74	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340—60—2640	—do—
4	Sub Inspector	3237	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340	Deputy Inspector General of Police
5	Sub Inspector (Radio)	159	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340	—do—
6	Sub Inspector (Finger Print)	39	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340	—do—
7	Sub Inspector (Questioned Documents)	8	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340	—do—
8	Sub Inspector (Lady)	65	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340	—do—
9	Platoon Commander	738	S. P. S. Class 3	1400—40—1440—50—2340	—do—
10	Assistant Sub Inspector	3636	S. P. S. Class 3	1320—40—1440—50—2040	—do—

SCHEDULE II
(See Rule 6)

S.No	Name of Department	Name of Posts included	Total Number of Duty Posts	Percentage of number of posts to be filled	
				By direct recruitment vide rule 6 (1)(a)	By Promotion of working members of service vide rule 6 (1) (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Home (Police) Madhya Pradesh Police (Non-Gezetted Service)	Inspector/ Reserve Inspector	1032	—	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Home (Police) Madhya Pradesh Police Non-Gezetted Service)	Company Commander	248	—	100%
3.		Subedar	74	100%	
4.		Sub Inspector	3237	67%	33%
5.		Sub Inspector (Radio)	159	50%	50%
6.		Sub Inspector (finger print)	39	67%	33%
7.		Sub Inspector (Questioned Documents)	8	67%	33%
8.		Lady Sub Inspector	65	67%	33%
9.		Platoon Commander	738	40%	60%
10.		Assistant Sub Inspector	3636	—	100% Note (80% by Head Constable to Assistant Sub Inspector departmental examination and 20% on completion of 15 years over all service and good record).

SCHEDULE III

(See Rule 8)

Name of Service	Sl. No.	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification Prescribed	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home Police Madhya Pradesh Police Non-Gazetted	1	Subedar	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any Recognised University.	
	2	Sub Inspector	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any Recognised University.	
	3	Sub Inspector Radio	18	28	3 year Diploma course from any Institution/ University in Electronic/ Electrical/Tele communication Engineering Recognised by Govt.	
	4	Sub Inspector Finger Prints	18	28	Bachelor Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its Equivalent from any University Recognised by Govt.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home Police Madhya Pradesh Police Non-Gazetted	5	Sub Inspector Questioned Documents	18	28	Bachelors Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its Equivalent from any University Recognised by Govt.	
	6	Lady Sub Inspector	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any Recognised University	
	7	Platoon Commander	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any Recognised University.	

Note :—Holders of NCC "C" certificate and candidates with LL.B. Degree shall be given bonus 5 marks for each.

A Bachelor's Degree from any University recognised by Government or its equivalent.

(a) Three years Diploma course from any Institution or University in Electronic/Electrical or Telecommunication Engineering which is recognised by Government of India or the State Government.

(b) A Bachelor's Degree in any of these subjects or its equivalent from any university recognised by Government.

A. Bachelor's Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its equivalent from any University recognised by Government.

A Bachelor's Degree or its equivalent from any University recognised by Government.

SCHEDULE-IV
(See rule 15)

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum service in the post of column (2) for eligibility for promotion in the col. (3)	Composition of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Home (Police) Department	Sub Inspector	Inspector	8 Yrs. Directly Recruited 6 Yrs. Directly recruited those who rendered 6 years continues in *Naxalite Affected Areas.* 5 Yrs. Departmental Promoted. 4 Yrs. Departmental Promoted those who rendered 4 years continues Service in *Naxalite Affected Areas.*	Chairman—Inspector General of Police. Members—DIsG (Two) (Nominated by Director General of Police M.P.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Platoon Commander	Company Commander	As mentioned above	Three D.IsGs. Chairman— Senior Most of them. Members— Others Two (Nominated by Director General of Police M.P.)
	Assistant Sub Inspeetor	Sub Inspector	3 Yrs.	
	Assistant Platoon Commander	Platoon Commander	3 Yrs.	
	Subedar	Reserver Inspector	3 Yrs	Chairman— Inspector General Of Police Members ;– DIsG (Two) (Nominated by Director General of Police M.P.).

SCHEDULE-V

[See sub-rule (8) of rule 6]

S. No.	Item	Male Candidates	Marks	Woman Candidates	Marks	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Long Jump (Three attempts)	20		Long Jump (Three attempts) 20		
	12 Feet (3.66 mts)		00	08 Feet (2.44 mtr)	00	
	14 Feet (4.27 mts)		04	10 Feet (3.05 mtr)	04	
	16 Feet (4.88 mts)		08	12 Feet (3.66 mtr)	08	
	17 Feet (5.18 mts)		12	13 Feet (3.96 mtr)	12	
	18 Feet (5.49 mts)		16	14 Feet (4.27 mtr)	16	
	19 Feet (5.79 mts) or more		20	15 Feet (4.57 mtr) or more	20	
2.	High Jump (Three attempts)	20		High Jump (Three attempts) 20		
	4 Feet (1.22 mtr)		00	3 Feet (0.91 mtr.)	00	
	4'2" Feet (1.27 mtr.)		04	3'2" Feet (0.97 mtr.)	04	
	4'4" Feet (1.32 mtr.)		08	3'4" Feet (1.02 mtr.)	08	
	4'6" Feet (1.37 mtr.)		12	3'6" Feet (1.07 mtr.)	12	
	4'8" Feet (1.42 mtr.)		16	3'8" Feet (1.12 mtr.)	16	
	5'10" Feet (1.78 mtr.) or more		20	4'10" Feet (1.47 mtr.) or more	20	
3.	Shot Put Wt. 16 Pound (One attempt)	20		Shot Put Wt. 8 Pound (One attempt) 20		
	4 mtr		00	4 mtr.	00	
	5 mtr.		04	5 mtr.	04	
	6 mtr.		08	6 mtr.	08	
	7 mtr.		12	7 mtr.	12	
	8 mtr.		16	8 mtr.	16	
	9 mtr.or more		20	9 mtr. or more	20	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Race 100 meter	20		Race 100 meter	20	
	12.5 Sec. or less		20	14.5 Sec. or less	20	
	13.5 Sec		16	15.5 Sec.	16	
	14.5 Sec		12	16.5 Sec.	12	
	15.5 Sec		08	17.5 Sec.	08	
	16.5 Sec		04	18.5 Sec.	04	
	20. Sec		00	22. Sec.	00	
5.	Race 1500 Meter	20		Race 1500 meter	20	
	4 Minutes 20 Sec.		20	5 Minutes	20	
	4 Minutes 30 Sec..		16	5 Minutes 10 Sec.	16	
	4 Minutes 40 Sec.		12	5 Minutes 20 Sec.	12	
	4 Minutes 50 Sec.		08	5 Minutes 30 Sec.	08	
	5 Minutes		04	5 Minutes 40 Sec.	04	
	5 Minutes 30 Sec.		00	6 Minutes 15 Sec.	00	

Male :—For Physical Fitness test for the post of Subedar/Sub Inspector/Sub Inspector (Cadre) and Platoon Commander the male candidates shall be eligible.

Female/Women/Lady :— For Physical fitness test for the post of Women Sub-Inspector only the women candidates shall be eligible.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 1998

क्र. 2(अ) 614-92-ब.(4)-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

" 13. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—सीधी भरती के लिए अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट), लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार तथा बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, नियुक्तियां पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए गुणागुण सूची से की जाएंगी:

परन्तु नियुक्ति के लिये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त किए हों.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.".

(2) अनुसूची-पांच के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-पांच
[नियम 6 का उप नियम (8) देखिये]

अनु क्र. (1)	मद (आयटम) (2)	पुरुष अभ्यर्थी (3)	अंक (4)	महिला अभ्यर्थी (5)	अंक (6)	टिप्पणियां (7)
1.	लम्बी कूद	(तीन प्रयास)	20	(तीन प्रयास)	20	
	12 फिट	(3.66 मीटर) तक	00	8 फिट (2.44 मीटर) तक	00	
	14 फिट	(4.27 मीटर)	04	10 फिट (3.05 मीटर)	04	
	16 फिट	(4.88 मीटर)	08	12 फिट (3.66 मीटर)	08	
	17 फिट	(5.18 मीटर)	12	13 फिट (3.96 मीटर)	12	
	18 फिट	(5.49 मीटर)	16	14 फिट (4.27 मीटर)	16	
	19 फिट	(5.79 मीटर)	20	15 फिट (4.57 मीटर)	20	
		या अधिक.		या अधिक.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	ऊंची कूद	(तीन प्रयास)	20	(तीन प्रयास)	20	
	4 फिट	(1.22 मीटर) तक	00	3 फिट (0.91 मीटर) तक	00	
	4 फिट 2 इंच	(1.27 मीटर)	04	3 फिट 2 इंच (0.97 मीटर)	04	
	4 फिट 4 इंच	(1.32 मीटर)	08	3 फिट 4 इंच (1.02 मीटर)	08	
	4 फिट 6 इंच	(1.37 मीटर)	12	3 फिट 6 इंच (1.07 मीटर)	12	
	4 फिट 8 इंच	(1.42 मीटर)	16	3 फिट 8 इंच (1.12 मीटर)	16	
	4 फिट 10 इंच या अधिक.	(1.47 मीटर)	20	3 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक.	20	
3.	गोला फेंक	(तीन प्रयास) वजन 16 पौंड	20	(तीन प्रयास) वजन 8 पौंड	20	
	4 मीटर तक		00	4 मीटर तक	00	
	5 मीटर		04	5 मीटर	04	
	6 मीटर		08	6 मीटर	08	
	7 मीटर		12	7 मीटर	12	
	8 मीटर		16	8 मीटर	16	
	9 मीटर या अधिक		20	9 मीटर या अधिक	20	
4.	दौड़ 100 मीटर		20	दौड़ 100 मीटर	20	
	12.5 सेकंड या कम		20	14.5 सेकंड या कम	20	
	13.5 सेकंड		16	15.5 सेकंड	16	
	14.5 सेकंड		12	16.5 सेकंड	12	
	15.5 सेकंड		08	17.5 सेकंड	08	
	16.5 सेकंड		04	18.5 सेकंड	04	
	20 सेकंड या अधिक		00	22 सेकंड या अधिक	00	
5.	दौड़ 1500 मीटर		20	दौड़ 1500 मीटर	20	
	5 मिनिट		20	6 मिनिट	20	
	5 मिनिट 10 सेकंड		16	6 मिनिट 10 सेकंड	16	
	5 मिनिट 20 सेकंड		12	6 मिनिट 20 सेकंड	12	
	5 मिनिट 30 सेकंड		08	6 मिनिट 30 सेकंड	08	
	5 मिनिट 40 सेकंड		04	6 मिनिट 40 सेकंड	04	
	5 मिनिट 50 सेकंड या उससे अधिक.		00	6 मिनिट 50 सेकंड या उससे अधिक.	00	

Bhopal, the 18th May 1998

No. 2(A) 614-92-B-(4)-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) For rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

"13. Appointment to the service from the select list :

(1) Final merit list for direct recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination, physical proficiency test, interview and bonus marks. Appointment shall be made from the merit list subject to the availability of posts:

Provided that only those candidates shall be considered for appointment who obtained a minimum of 30% of marks in the physical proficiency test.

(2) The select list issued by the appointing authority shall remain valid for a period of one year from the date of its issue.".

(2) for Schedule V, the following Schedule shall be substituted namely:—

SCHEDULE-V

[See sub-rule (8) of Rule 6]

S. No.	Item	Male Candidates	Marks	Women Candidates	Marks	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Long Jump (Three attempts)		20	Long Jump (Three attempts)	20	
	upto 12 Feet	(3.66 mtr.)	00	upto 08 Feet (2.44 mtr)	00	
	14 Feet	(4.27 mtr)	04	10 Feet (3.05 mtr)	04	
	16 Feet	(4.88 mtr)	08	12 Feet (3.66 mtr)	08	
	17 Feet	(5.18 mtr)	12	13 Feet (3.96 mtr)	12	
	18 Feet	(5.49 mtr)	16	14 Feet (4.27 mtr)	16	
	19 Feet or more	(5.79 mtr)	20	15 Feet (4.57 mtr) or more	20	
2.	High Jump (Three attempts)		20	High Jump (Three attempts)	20	
	upto 4 Feet	(1.22 mtr.)	00	upto 3 Feet (0.91mtr)	00	
	4' 2" Feet	(1.27 mtr)	04	3'2" Feet (0.97 mtr)	04	
	4'4" Feet	(1.32 mtr)	08	3'4" Feet (1.02 mtr)	08	
	4'6" Feet	(1.37 mtr)	12	3'6" Feet (1.07 mtr)	12	
	4'8" Feet	(1.42 mtr)	16	3'8" Feet (1.12 mtr)	16	
	4'10" Feet or more	(1.47 mtr)	20	3'10" Feet (1.17 mtr) or more	20	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Shot Put		20	Shot Put	20	
	Wt. 16 Pound (Three Attempts)			Wt. 8 Pound (Three Attempts)		
	upto 4 mtr		00	upto 4 mtr	00	
	5 mtr		04	5 mtr	04	
	6 mtr		08	6 mtr	08	
	7 mtr		12	7 mtr	12	
	8 mtr		16	8 mtr	16	
	9 mtr or more		20	9 mtr or more	20	
4.	Race 100 meter		20	Race 100,meter	20	
	12.5 Sec. or less		20	14.5 Sec. or less	20	
	13.5 Sec.		16	15.5 Sec.	16	
	14.5 Sec.		12	16.5 Sec.	12	
	15.5 Sec.		08	17.5 Sec.	08	
	16.5 Sec.		04	18.5 Sec.	04	
	20 Sec.		00	22 Sec.	00	
5.	Race 1500 meter		20	Race 1500 meter	20	
	5 Minutes		20	6 Minutes	20	
	5 Minutes 10 Sec.		16	6 Minutes 10 Sec.	16	
	5 Minutes 20 Sec.		12	6 Minutes 20 Sec.	12	
	5 Minutes 30 Sec.		08	6 Minutes 30 Sec.	08	
	5 Minutes 40 Sec.		04	6 Minutes 40 Sec.	04	
	5 Minutes 50 Sec. or more		00	6 Minutes 50 Sec. or more	00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. शुक्ला, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. एफ 2(अ) 287-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(घ)'' ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा के पश्चात् शारीरिक मापदण्डों की माप तौल;''

2. नियम 6 में,—

(एक) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(5) भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को एजेंसी के माध्यम से/पुलिस मुख्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदन करना चाहिए'';

(दो) उपनियम (8) में, खण्ड (दो) में, टिप्पणी में, अन्तिम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर तथा तकनीकी उप निरीक्षक (रेडियो/फिंगर प्रिंट/प्रश्नगत दस्तावेज) के लिए पृथक्-पृथक् प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी जिसमें द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के सात गुना संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया

जाएगा. अन्तिम अभ्यर्थी को, जिस पर सात गुने की संख्या पूर्ण होती है तथा उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हों, निश्चित की गई सात गुना संख्या से अधिक संख्या को ध्यान दिए बिना द्वितीय चरण में प्रवेश दिया जाएगा.''.

3. नियम 13 में, उपनियम (1) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु नियुक्ति के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों.''.

4. नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''13क. **प्रतीक्षा सूची.**—विज्ञापित किए गए रिक्त पदों की 10 प्रतिशत संख्या में अभ्यर्थियों के नामों को सम्मिलित करते हुए गुणागुण के क्रम में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी. यह प्रतीक्षा सूची बेसिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख से 3 मास तक वैध रहेगी. यदि अंतिम चयन सूची में चयनित कोई अभ्यर्थी निश्चित समय-सीमा में उपस्थित नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची में के अभ्यर्थियों को गुणागुण के क्रम में नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी.

''13ख. **निश्चित अवधि में प्रशिक्षण संस्था को रिपोर्ट करना.**—चयनित अभ्यर्थी को, विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर अथवा रूस्तमजी आर्म्ड पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा. यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. एफ 2(अ)287-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 4 मार्च, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 4th March 2011

No. 2(a)287-2010-B-4-II.—In exercise of the powrs conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for clause (d), the following clause shall be sub-stituted, namely:—

"(d) "First Stage" means wirtten examination followed by measurement of Physical standard;".

2. In rule 6,—

"(i) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted. namely :—

"(5) Candidates desirous of recruitment should apply by submitting an application through the agency/at the place(s) designated by the Police Headquarters.";

"(ii) in sub-rule (8), in clause (ii), in Note, for the last paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"On the basis of the marks obtained in the written examination of the first stage, separate merit lists, one for Subedar, Sub-Inspector, Platoon Commander and another for technical Sub-Inspector (Radio/Finger Print/Questioned Documents) shall be prepared in which the candidates numbering seven times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last candidate, on whom seven-times-number is completed and all those candidates who obtained more than or equal marks to this candidate shall be admitted to the second stage irrespective of the number exceeding the stipulated seven times number.".

3. In rule 13, in sub-rule (1), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that only those candidates shall be considered for appointment who obtained a minimum of 20% of marks in the phisical proficiency test.".

4. After rule 13, the following rules shall be inserted, namely :—

"13A. **Waiting List.**—A waiting list comprising names of candidates numbering 10% of the advertised vacant posts shall be prepared in the order of merit. This waiting list shall remain valid for 3 months from the date of commencement of basic training. If any selected candidate from final select list does not join in stipulated time, then candidates in waiting list will be offered appointment in the order of merit.

"13B. **Reporting at the Training Institution in the stipulated period.**—Selected candidate has to join Jawaharlal Nehru Police Academy, Sagar or Rustamji Armed Police Training College, Indore for training on or before the last prescribed date. If candidate fails to join within stipulated period of time without obtaining any permission from appointing authority, his name will be deleted from the selection list.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2011—श्रावण 6, शक 1933

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्र. एफ 2(अ)171/2010/बी–4/दो– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची पांच के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :–

"अनुसूची–पांच

(नियम 6 का उप नियम (8) देखिये)

अनु. क्रमांक	मद पुरूष अभ्यर्थी	अंक	महिला अभ्यर्थी	अंक	भूतपूर्व सैनिक	अंक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	20	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	20	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	20	
	12 फीट (3.66 मीटर) तक	00	8 फीट (2.44 मीटर) तक	00	10 फीट (3.05 मीटर) तक	00	
	14 फीट (4.27 मीटर)	04	10 फीट (3.05 मीटर)	04	12 फीट (3.66 मीटर)	04	
	16 फीट (4.88 मीटर)	08	12 फीट (3.66 मीटर)	08	14 फीट (4.27 मीटर)	08	
	17 फीट (5.18 मीटर)	12	13 फीट (3.96 मीटर)	12	16 फीट (4.88 मीटर)	12	
	18 फीट (5.49 मीटर)	16	14 फीट (4.27 मीटर)	16	17 फीट (5.18 मीटर)	16	
	19 फीट (5.79 मीटर) या अधिक	20	15 फीट (4.57 मीटर) या अधिक	20	18 फीट (5.49 मीटर) या अधिक	20	
2	उंची कूद (तीन प्रयास)	20	उंची कूद (तीन प्रयास)	20	उंची कूद (तीन प्रयास)	20	
	4 फीट (1.22 मीटर) तक	00	3 फीट (0.91 मीटर) तक	00	3' 6" फीट (1.07 मीटर)	00	
	4' 2" फीट (1.27 मीटर)	04	3' 2" फीट (0.97 मीटर)	04	4 फीट (1.22 मीटर)	04	
	4' 4" फीट (1.32 मीटर)	08	3' 4" फीट (1.02 मीटर)	08	4' 2" फीट (1.27 मीटर)	08	
	4' 6" फीट (1.37 मीटर)	12	3' 6" फीट (1.07 मीटर)	12	4' 4" फीट (1.32 मीटर)	12	
	4' 8" फीट (1.42 मीटर)	16	3' 8" फीट (1.12 मीटर)	16	4' 6" फीट (1.37 मीटर)	16	
	4' 10" फीट (1.47 मीटर) या अधिक	20	3' 10" फीट (1.17 मीटर) या अधिक	20	4' 8" फीट (1.42 मीटर) या अधिक	20	
3	गोला फेक (तीन प्रयास) वजन 16 पोंड	20	गोला फेक(तीन प्रयास) वजन 8 पोंड	20	गोला फेक(तीन प्रयास) वजन 16 पोंड	20 अंक	
	4 मीटर तक	00	4 मीटर तक	00	3 मीटर तक	00	
	5 मीटर	04	5 मीटर	04	4 मीटर	04	
	6 मीटर	08	6 मीटर	08	5 मीटर	08	
	7 मीटर	12	7 मीटर	12	6 मीटर	12	
	8 मीटर	16	8 मीटर	16	7 मीटर	16	
	9 मीटर या अधिक	20	9 मीटर या अधिक	20	8 मीटर या अधिक	20	

4	दोड़ 100 मीटर	20	दोड़ 100 मीटर	20	दोड़ 100 मीटर	20	
	12.5 सेंकड या कम	20	14.5 सेंकड या कम	20	13.5 सेंकड या कम	20	
	13.5 सेंकड	16	15.5 सेंकड	16	14.5 सेंकड	16	
	14.5 सेंकड	12	16.5 सेंकड	12	15.5 सेंकड	12	
	15.5 सेंकड	08	17.5 सेंकड	08	16.5 सेंकड	08	
	16.5 सेंकड	04	18.5 सेंकड	04	17.5 सेंकड	04	
	20 सेंकंड या अधिक	00	22 सेंकड या अधिक	00	21 सेंकड या अधिक	00	
5	दोड़ 1500 मीटर	20	दोड़ 1500 मीटर	20	दौड़ 1500 मीटर	20	
	5 मिनट	20	6 मिनट	20	5 मिनट 30 सेंकड	20	
	5 मिनट 10 सेंकड	16	6 मिनट 10 सेंकड	16	5 मिनट 40 सेंकड	16	
	5 मिनट 20 सेंकड	12	6 मिनट 20 सेंकड	12	5 मिनट 50 सेंकड	12	
	5 मिनट 30 सेंकड	08	6 मिनट 30 सेंकड	08	6 मिनट	08	
	5 मिनट 40 सेंकड	04	6 मिनट 40 सेंकड	04	6 मिनट 10 सेंकड	04	
	5 मिनट 50 सेंकड या अधिक	00	6 मिनट 50 सेंकड या अधिक	00	6 मिनट 20 सेंकड या अधिक	00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2011

क्र. एफ 2(अ)171/2010/बी–4/दो– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th July, 2011

No. 2(a)171/2010/B-4/II - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules for Schedule-V, the following Schedule shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-V

(See sub rule (8) of Rule 6)

S.No.	Item Male Candidates	Marks	Women Candidates	Marks	Ex Sainik	Marks	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Long Jump (Three attempts)**	**20**	**Long Jump (Three attempts)**	**20**	**Long Jump (Three attempts)**	**20**	
	Upto 12 Feet (3.66 mtr)	00	Upto 8 Feet (2.44 mtr)	00	10 Feet (3.05 mtr)	00	
	14 Feet (4.27 mtr)	04	10 Feet (3.05 mtr)	04	12 Feet (3.66 mtr)	04	
	16 Feet (4.88 mtr)	08	12 Feet (3.66 mtr)	08	14 Feet (4.27 mtr)	08	
	17 Feet (5.18 mtr)	12	13 Feet (3.96 mtr)	12	16 Feet (4.88 mtr)	12	
	18 Feet (5.49 mtr)	16	14 Feet (4.27 mtr)	16	17 Feet (5.18 mtr)	16	
	19 Feet (5.79 mtr) or more	20	15 Feet (4.57 mtr) or more	20	18 Feet (5.49 mtrs) or more	20	
2	**High Jump (Three attempts)**	**20**	**High Jump (Three attempts)**	**20**	**High Jump (Three attempts)**	**20**	
	upto 4 Feet (1.22 mtr)	00	upto 3 Feet (0.91 mtr)		upto 3' 6" Feet (1.07mtr)	00	
	4' 2" Feet (1.27 mtr)	04	3' 2" Feet (0.97 mtr)	04	4 Feet (1.22 mtr)	04	
	4' 4" Feet (1.32 mtr)	08	3' 4" Feet (1.02 mtr)	08	4' 2" Feet (1.27 mtr)	08	
	4' 6" Feet (1.37 mtr)	12	3' 6" Feet (1.07 mtr)	12	4' 4" Feet (1.32 mtr)	12	
	4' 8" Feet (1.42 mtr)	16	3' 8" Feet (1.12" mrt)	16	4' 6" (1.37 mtr)	16	
	4' 10" Feet (1.47 mtr) or more	20	3' 10" Feet (1.17 mtr) or more	20	4' 8" Feet (1.42mtr) or more	20	

3	Shot Put Wt 16 Pound (Three attempts	20	Shot Put Wt 8 Pound (Three attempts	20	Shot Put Wt 16 Pound (Three attempts	20	
	up to 4 mtr	00	up to 4 mtr	00	3 mtr up to	00	
	5 mtr	04	5 mtr	04	4 mtr	04	
	6 mtr	08	6 mtr	08	5 mtr	08	
	7 mtr	12	7 mtr	12	6 mtr	12	
	8 mtr	16	8 mtr	16	7 mtr	16	
	9 mtr or more	20	9 mtr or more	20	8 mtr or more	20	
4	Race 100 meter	20	Race 100 mtr	20	Race 100 mtr	20	
	12.5 Sec. or less	20	14.5 Sec. or less	20	13.5 Sec. or less	20	
	13.5 Sec.	16	15.5 Sec.	16	14.5 Sec.	16	
	14.5 Sec.	12	16.5 Sec.	12	15.5 Sec.	12	
	15.5 Sec.	08	17.5 Sec.	08	16.5 Sec.	08	
	16.5 Sec.	04	18.5 Sec.	04	17.5 Sec.	04	
	20 Sec. or more	00	22 Sec. or more	00	21 Sec. or more	00	
5	Race 1500 meter	20	Race 1500 meter	20	Race 1500 meter	20	
	5 Minutes	20	6 Minutes	20	5 Minutes 30 Sec.	20	
	5 Minutes 10 Sec.	16	6 Minutes 10 Sec.	16	5 Minutes 40 Sec.	16	
	5 Minutes 20 Sec.	12	6 Minutes 20 Sec.	12	5 Minutes 50 Sec.	12	
	5 Minutes 30 Sec.	08	6 Minutes 30 Sec.	08	6 Minutes	08	
	5 Minutes 40 Sec.	04	6 Minutes 40 Sec.	04	6 Minutes 10 Sec.	04	
	5 Minutes 50 Sec. or more	00	6 Minutes 50 Sec. or more	00	6 Minutes 20 Sec.	00	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK DAS, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त 2011—श्रावण 20, शक 1933

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ. 2(अ)79-2011-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(1)(क) देखिए	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, नियम 6(1)(ख) देखिए	अन्य सेवाओं के अस्थायी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6(1)(ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गृह (पुलिस) विभाग मध्यप्रदेश पुलिस (अराजपत्रित सेवा)	निरीक्षक/ रक्षित निरीक्षक	1009/ 79	-	100 प्रतिशत	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	गृह (पुलिस) विभाग मध्यप्रदेश पुलिस (अराजपत्रित सेवा)	कंपनी कमांडर	229	–	97 प्रतिशत	3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अनुपलब्धता की स्थिति में पदोन्नति द्वारा)
3.	–	सूबेदार	72	100 प्रतिशत	–	–
4.	–	उप निरीक्षक (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	2696	50 प्रतिशत (1348)	50 प्रतिशत (1348)	–
5.	–	उप निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन)	125	50 प्रतिशत (63)	50 प्रतिशत (62)	–
6.	–	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	29	100 प्रतिशत	–	–
7.	–	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	06.	100 प्रतिशत	–	–
8.	–	प्लाटून कमांडर	707	40 प्रतिशत (283)	60 प्रतिशत (424)	–
9.	–	सहायक उप निरीक्षक	3304	–	100 प्रतिशत (80 प्रतिशत प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक की विभागीय परीक्षा से तथा 20 प्रतिशत अच्छे अभिलेख और 15 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर).	–

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

सेवा का नाम (1)	अनुक्रमांक (2)	पद का नाम (3)	न्यूनतम आयु सीमा (4)	अधिकतम आयु सीमा (5)	विहित शैक्षणिक अर्हता (6)	अभ्युक्तियां (7)
मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा	1	सूबेदार	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा	2	उप निरीक्षक (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.	-
—''—	3	उप निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन)	18	28	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रीकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम.	-
—''—	4	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	18	28	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या उसके समकक्ष.	-
—''—	5	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	18	28	—''—	
—''—	7	प्लाटून कमाण्डर	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष	

टिप्पणी— एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाण-पत्र धारक और एल.एल.बी. की डिग्री धारक अभ्यार्थियों को प्रत्येक के लिये 5 अंक बोनस के दिये जायेंगे.

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.

1. किसी संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो.
2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इन विषयों में से किसी एक में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.
3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ-2-(अ)79-2011-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव

Bhopal, the 11th August 2011

No. 2(a) 79-2011-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

For Schedule II and III, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of Posts included in the service	Total Number of Duty Posts	Percentage of number of posts to be filled		
				By direct recruitment see rule 6(1) (a)	By promotion of working members of service see rule 6(1)(b)	From other Services by temporary transfer of by deputation see rule 6(1) (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Home (Police) Department Madhya Pradesh Police (Non Gezetted service)	Inspector/ Reserve Inspector	1009/79	-	100%	-
2.	—"—	Company Commander	229	-	97%	3% By deputation (By promotion when not available).
3.	—"—	Subedar	72	100%	-	-
4.	—"—	Sub-Inspector (Including Woman Sub-Inspector)	2696	50% (1348)	50% (1348)	-
5.	—"—	Sub-Inspector (Radio) Technician	125	50% (63)	50% (62)	-
6	—"—	Sub-Inspector (Finger Print)	29	100%	-	-
7.	—"—	Sub-Inspector (Questioned Documents)	06	100%	-	-
8.	—"—	Platoon Commander	707	40% (283)	60% (424)	-
9.	—"—	Assistant sub Inspector	3304	-	100% Note (80% from Head Constable to Assistant Sub Inspector Departmental Examination and 20% on completion of 15 years over all service and Good record.)	-

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Age and qualification of persons for direct recruitment

Name of Service (1)	S. No. (2)	Name of Post (3)	Minimum age limit (4)	Upper age limit (5)	Educational Qualification Prescribed (6)	Remarks (7)
1.	Madhya Pradesh Police Executive (Non Gezetted service)	Subedar	18	28	Bachelors Degree or its equivalent from any recognised University	-
2	-	Sub-Inspector (Including Woman Sub-Inspector)	18	28	—do—	-
3	-	Sub-Inspector (Radio Technician)	18	28	3 years Diploma Course from any Institution/ University in Electronic/ Electrical/Tele Communication Engineering recognised by Government.	-
4	-	Sub-Inspector (Finger Print)	18	28	Bachelors Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its Equivalent from any University recognised by the Government.	-
5	-	Sub-Inspector (questioned Documents)	18	28	—do—	-
6	-	Platoon Commander	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any recognised U iversity.	-

Note:—Holders of NCC "C" cerificate and candidates with L.L.B. Degree shall be given bonus 5 marks for each.

A Bachelor's Degree from any University recognised by the Government or its equivalent.

(1) Three years Diploma course from any Institution or University in Electronic/Electrical or Tele-communication Engineering which is recognised by the Government of India or the State Government.

(2) A Bachelor's Degree in any of these subjects or its equivalent from any university recognised by Government.

(3) A Bachelor's Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its equivalent from any University recognised by the Government. A Bachelor's Degree or its equivalent from any University recognised by Government.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-2(अ)156-2012-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उप-नियम (8) में,—

(एक) खण्ड (दो) में, उप-खण्ड (ग) में, विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

टिप्पणी.—खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है.

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, गैर तकनीकी पदों [सूबेदार, प्लाटून कमाण्डर, उप निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल/विशेष शाखा) के लिए एक तथा तकनीकी पदों [उप निरीक्षक-रेडियो/अंगुली चिन्ह (छाप)/प्रश्नगत दस्तावेज/फोटो)] के लिए अन्य पृथक् गुणागुण सूचियां तैयार की जाएगी जिसमें द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. अंतिम अभ्यर्थी को जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए हों, नियत की गई पांच गुना संख्या पर विचार में लाए बिना

द्वितीय चरण में प्रवेश दिया जाएगा. चूंकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों के लिये अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी गुणागुण सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए भी तकनीकी पदों की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु पांच गुनी संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी.'';

(दो) खण्ड (तीन) तथा (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षण—यह परीक्षण (टेस्ट) समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है. यह परीक्षण अर्हकारी प्रकृति का होगा, इस परीक्षण के लिए कोई अंक नहीं होंगे तथा इस परीक्षण में केवल एक मद 800 मीटर दौड़ सम्मिलित होगी. अर्हकारी 800 मीटर दौड़ के लिए विहित समय-सीमा अनुसूची पांच में विनिर्दिष्ट है.

(चार) व्यक्तिगत साक्षात्कार 10 अंकों का होगा.''.

2. नियम 8 में, उप नियम (एक) में, टिप्पणी (2) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(3) खण्ड (ङ), (च) या (छ) में वर्णित छूट प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास प्रोत्साहन में दिए अनुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लिए एक से अधिक आधार हैं, तो जो उसे उच्चतर आयु सीमा में सर्वोच्च फायदा देता है किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए अनुज्ञात किया जाएगा. प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध यह शिथिलीकरण, उपखण्ड (ग), (घ), (ज) तथा (झ) में उपलब्ध शिथिलीकरण के अतिरिक्त होगा. सभी वर्गों में उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.''.

3. नियम 11 में, उप नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''(7) महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण समस्तरीय (हारीजोण्टल) तथा श्रेणीवार (कम्पार्टमेंट वाइज) होगा. 30 प्रतिशत महिलाएं यदि चयन सूची में मेरिट पर आ जाती हैं तो आगे आरक्षण नहीं दिया जाएगा. पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके लिए आरक्षित पद अग्रनीत नहीं किए जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे.

(8) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे. यह आरक्षण समस्तरीय (हारीजोण्टल) तथा श्रेणीवार (कम्पार्टमेंट वाइज) होगा. यदि चयन सूची में 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो और आरक्षण नहीं दिया जाएगा. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद अग्रनीत नहीं किए जाएंगे यदि पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं और ऐसी परिस्थिति के अधीन ये पद उसी जाति प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.''.

4. नियम 13क का लोप किया जाए.

5. अनुसूची तीन में, टिप्पणी में,—

(एक) शब्द और अक्षर ''एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र धारक और एल.एल.बी. की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रत्येक के लिए 5 बोनस अंक दिए जाएंगे'' का लोप किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

''(4) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 2-क के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर आरक्षित रिक्ति में नियोजन के लिए

ऐसा भूतपूर्व सैनिक (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा का विशेष प्रमाण-पत्र या नौ सेना या वायु सेना का तत्स्थानी कोई प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है) जिसने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का पात्र हो सकेगा जिसके लिए विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता स्नातक है.

6. विद्यमान अनुसूची पांच के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची पांच
[नियम 6(8) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी (2)	800 मीटर दौड़ अर्हित करने हेतु अनुज्ञात अधिकतम समय (3)
1.	पुरुष	2 मिनट 40 सेकंड
2.	महिला	3 मिनट 30 सेकंड
3.	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनट 15 सेकंड.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-2(अ)156-2013-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 15th March 2013

No. 2(a) 156-2012-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, in sub-rule (8),—

(i) in clause (ii), in sub-clause (c), for the existing note, the following note shall be substituted, namely:—

Note.—Written examination under sub-clause (a) and (b) of clause (ii) is compulsory for all candidates.

On the basis of the marks obtained in the written examination of the first stage, separate merit lists, one for non-technical posts [Subedar, Platoon Commander, Sub-Inspector (District Executive Force/Special Branch)] and another for technical posts (Sub-Inspector-Radio/Finger Print/ Questioned Documents/Photo)] shall be prepared in which the candidates numbering five times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last

candidate, on whom five times number is completed and all those candidates who obtained more than or equal marks to this candidate shall be admitted to the second stage irrespective of the number exceeding the stipulated five times number. Since eligible candidates may give preferences for both types of posts, therefore if any candidate qualifies for list of technical post also as well as being in the list of non-technical posts on the basis of merit, then names of such candidates will be included in the list of technical post but the number of such candidates will not be counted at the time of computing five times number for the list of technical posts.";

(ii) for clause (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(iii) Physical Proficiency Test.—This test is compulsory for all candidates. This test will be of qualifying nature, there will not be any marks for this test and only one item of 800 metre run will be included in this test. Time limit prescribed for qualifying 800 metre run are specified in Schedule-V.

(iv) Personal Interview shall be of 10 marks.".

2. In rule 8, in clause (i), after Note (2), the following Note shall be inserted, namely:—

"(3) The relaxation described in clause (e), (f) or (g) are given for motivation. If any candidate has more than one basis of relaxation in the maximum age limit being given as motivation, then he shall be allowed to avail any one basis (of motivation) which imparts highest benefit in the maximum age limit. This relaxation available as motivation will be in addition to the relaxation available in sub-clauses (c), (d), (h) and (i). The maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years.".

3. In rule 11, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be added, namely:—

"(7) 30% reservation for women shall be horizontal and compartment wise. If 30% women find place in the select list on merit, then further reservation will not be given. The posts reserved for women shall not be carried forward if eligible women candidates are not available and under such circumstances. These posts will be filled up from other available condidates of some category.

(8) 10% posts shall be reserved for Ex-servicemen candidates according to the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985. This reservation shall be horizontal and compartment wise. If 10% Ex-servicemen find place in the select list on merit, then further reservation will not be given. The post reserved of Ex-servicemen shall not be carried forward if eligible Ex-servicemen candidates are not available and under such circumstances these posts will be filled up by the eligible candidates of same caste category.".

4. Rule 13A shall be omitted.

5. In Schedule III, in the Note,—

(i) Words and figure "Holders of NCC "c" certificate and candidates with LL.B Degree shall be given bonus 5 marks for each" shall be omitted;

(ii) after serial number (3), the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

"(4) According to rule 2-a of the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985 for appointments to any reserved vacancy in Class III posts, a Ex-servicemen (which term includes an Ex-servicemen, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or the corresponding certificate in the navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of services in the Armed Forces may be considered eligible for appointment to the posts for which essential qualification prescribed in graduation.

6. For the existing Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-V
[See rule 6(8)]

S. No. (1)	Candidates (2)	Maximum time allowed for qualifying 800 metre run (3)
1.	Male	2 minutes 40 seconds
2.	Female	3 minutes 30 seconds
3.	Ex-servicemen	3 minutes 15 seconds.".

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
SEEMA SHARMA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 मार्च 2016—फाल्गुन 15, शक 1937

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. एफ 2(अ)96-2015-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (8) के (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षण.**—यह परीक्षण (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है. यह परीक्षण अर्हताकारी स्वरूप का होगा. इस परीक्षण के लिए कोई अंक नहीं होंगे. इस परीक्षण में तीन विधाएं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला फेंक सम्मिलित होगी. इन विधाओं में अर्ह होने के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट किए गये हैं."

2. नियम 11 में,—

(एक) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(6) कुल पदों के 15 प्रतिशत पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो तथा उक्त सेवाकाल के दौरान उन्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं मिली हो.".

(दो) उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(7) महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हॉरीजोण्डल एवं कम्पार्टमेण्ट वाइज होगा. यदि चयन सूची में 33 प्रतिशत महिलाएं मेरिट के आधार पर चयन सूची में जगह पाती हैं तो और अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा. योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर महिलाओं के लिये आरक्षित पद अग्रनीत नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में ये पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध अभ्यार्थियों से भरें जाएंगे.".

3. नियम 14 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"(6) एक ही परीक्षा से भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गए परिवीक्षार्थी, उत्तरवर्ती रूप से भर्ती किए गए सदस्यों से पूर्णरूपेण (एन ब्लाक) ज्येष्ठ होंगे.".

(7) एक ही परीक्षा/प्रवीण्य सूची से सीधी भर्ती किए गए परिवीक्षार्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत अनुपात एवं बुनियादि प्रशिक्षण की मुख्य परीक्षा में अर्जित अंको के 50 प्रतिशत अनुपात से प्राप्त सकल अंकों के आधार पर नियत की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक परिवीक्षार्थी सकल अंकों में समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी प्रवीण्यता उनकी आयु के क्रम में विनिश्चत की जाएगी :

परंतु कोई परीवीक्षाधीन जो बीमारी या किसी अन्य कारण से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है या किसी विषय/विषयों या प्रश्न पत्र/प्रश्नपत्रों आदि के लिए विहित किए गए न्यूनतम अंक अर्जित करने में असफल रहता है तथा पश्चात्वर्ती रूप से परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता है तो उस परीवीक्षाधीन को ऐसी परीक्षा / पुनः परीक्षा में प्रदान किए गए अंकों को गणना उसकी ज्येष्ठता निर्धारित करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"

4. अनूसूची एक में,

(एक) अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2(ए)	निरीक्षक (आयुध)	21	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	रू. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रू. 4200/-	पुलिस महानिरीक्षक।"।

(दो) अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7(ए)	उप निरीक्षक (आयुध)	71	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	रू. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रू. 3600/-	पुलिस उप महानिरीक्षक।"।

5. अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7(ए)	गृह (पुलिस) मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रित सेवा	उप निरीक्षक (आयुध)	71	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत।"।

6. अनुसूची तीन में अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रित सेवा	5(ए)	उप निरीक्षक (आयुध)	18	28	मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।"।

7. विद्यमान अनुसूची चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:–

"अनुसूची चार
(नियम 15 देखिएं)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना हो।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना हो	कालम (3) में उल्लेखित पद पर पदोन्नति के लिए प्रात्रता के संबंध में कालम (2) में के पद पर न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गृह (पुलिस) विभाग	उप निरीक्षक (जिला बल)	निरीक्षक (जिला बल)	6 वर्ष सीधी भर्ती 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	अध्यक्ष– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक सदस्य–पुलिस उप महानिरीक्षक / सहायक पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग से पुलिस महानिदेशक, द्वारा नामांकित दोसदस्य
	उपनिरीक्षक (विशेष शाखा)	निरीक्षक (विशेष शाखा)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (रेडियो)	निरीक्षक (रेडियो)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (क्यूडी)	निरीक्षक (क्यूडी)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (फोटो)	निरीक्षक (फोटो)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	उपनिरीक्षक (आर्म्स)	निरीक्षक (आर्म्स)	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	प्लाटून कमाण्डर	कम्पनी कमाण्डर	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	सूबेदार	रक्षित निरीक्षक	6 वर्ष सीधी भर्ती के लिए 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति	तदैव
	सहायक उप निरीक्षक	उप निरीक्षक	3 वर्ष	तदैव
	सहायक प्लाटून कमाण्डर	प्लाटून कमाण्डर	3 वर्ष	तदैव।"।

8. विद्यमान अनुसूची पांच के स्थान पर, निम्नलिखित स्थापित की जाए, अर्थात्:-

" अनुसूची पांच"
{नियम 6 (8) (तीन)}

शारीरिक दक्षता परीक्षण की तीन विधाओं अर्थात 800 मीटर दौड, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अर्हित होने हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :

(एक) 800 मीटर दौंड़

क्र0	अभ्यर्थी	800 मीटर दौंड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित अधिकतम समय
(1)	(2)	(3)
1.	पुरुष	2 मिनिट 40 सैकेण्ड (एक अवसर)
2.	महिला	3 मिनिट 30 सैकेण्ड (एक अवसर)
3.	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनिट 15 सैंकेण्ड (एक अवसर)

(दो) लंबी कूद

क्र0	उम्मीदवार	लंबी कूद क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी
(1)	(2)	(3)
1.	पुरुष	13 फीट (तीन अवसर)
2.	महिला	10 फीट (तीन अवसर)
3.	भूतपूर्व सैनिक	10 फीट (तीन अवसर)

(तीन) गोला फेंक

क्र0	उम्मीदवार	गोंला फेंक क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी
(1)	(2)	(3)
1.	पुरुष	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)
2.	महिला	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)
3.	भूतपूर्व सैनिक	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)

Bhopal, the 5th March 2016

No.2(a) 96/2015/B-4/II - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non Gazetted) Service Recruitment Rules, 1997, namely :-

AMENDEMENTS

In the said rules,-

1. In rule 6, in sub rule (8) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

" (iii) **Physical Proficiency Test–** This test is compulsory for all candidates. this test will be of qualifying nature. There shall not be any marks for this test. Three events 800 meter run, long jump and shot put shall be included in this test. Parameters prescribed for qualifying these events are specified in Schedule V.".

2. In rule 11,-

(i) for sub rule (6), the following sub rule shall be substituted, namely :-

"(6) 15 % of the total posts shall be reserved for those employees of police department who have completed minimum six years of service and have not received any major punishment during the service so far.".

(ii) for sub rule (7), the following sub rule shall be substituted, namely :-

"(7) 33% Reservation for women shall be horizontal and compartment wise. If 33% women find place in the select list on merit, then further reservation shall not be given. The posts reserved for women shall not be carried forward if eligible women candidates are not available and under such circumstances, these posts shall be filled up from other available candidates of the same category.".

3. In Rule 14, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be added, namely:-

"(6) The probationers appointed through recruitment from the same examination shall be senior, en-bloc, to those recruited subsequently.

(7) The inter-se seniority of the probationers, who are directly recruited from the same examination/merit list shall be fixed on the basis of aggregate marks obtained from 50% ratio of the marks obtained in the entrance examination and 50% ratio of marks obtained in the main examination of the basic training. In case two or more probationers secure equal number of marks in the aggregate, their merit shall be decided in order of their age:

Provided that for a probationer who fails to appear in final examination either because of sickness or any other reason or fails to obtain minimum number of marks prescribed for any subject (s) or

57

paper (s) etc. and clears the exams subsequently, the marks awarded to the probationer, in such examination/re-examination shall not be taken into account in determining his seniority.".

4. In Schedule I,-

(i) after serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2(a)	Inspector (Arms)	21	State Police Service, Class III	9300 - 34800/- + Grade pay Rs. 4200/-	Inspector General of Police.".

(ii) after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7(a)	Sub-Inspector (Arms)	71	State Police Service, Class III	9300 - 34800/- + Grade pay Rs. 3600/-	D.I.G. of Police.".

5. In Schedule II, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7(a)	Home (Police) Madhya Pradesh Police Non Gazetted Service	Sub-Inspector (Arms)	71	50%	50%.".

6. In Schedule III, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Home (Police) Madhya Pradesh Police Non Gazetted Service	5 (a)	Sub-Inspector (Arms)	18	28	Three years Diploma in Mechanical Engineering From a recognized Technical University.".

7. For existing Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE – IV
(See Rule 15)

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum service in the post of column (2) for eligibility for promotion on the post in column (3)	Department Promotion Committee	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Home (Police) Department	Sub Inspector (DEF)	Inspector (DEF)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	Chairman-	Additional Director General of Police/ Inspector General of Police
				Members-	Two members to be nominated from the cadre of Deputy

59

				Inspector General /Assistant Inspector General of Police by Director General of Police.
	Sub Inspector (S.B.)	Inspector (S.B.)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Radio)	Inspector (Radio)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Finger Print)	Inspector (Finger Print)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Q.D.)	Inspector (Q.D,)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -

	Sub Inspector (Photo)	Inspector (Photo)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Sub Inspector (Arms)	Inspector (Arms)	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Platoon Commander	Company Commander	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Subedar	Reserve Inspector	6 years Directly Recruited. 4 years Departmental Promotion	- " -
	Assistant Sub Inspector	Sub-Inspector	3 years	- " -
	Assistant Platoon Commander	Platoon Commander	3 years	- " - ".

8. For existing Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely:-

" **Schedule V**
[See Rule 6(8)(iii)]

Parameters prescribed for qualifying three events of physical proficiency test namely 800 meter run, long jump and shot put are as following:

(i) **800 Meter run**

S.No.	Candidate	Maximum time allowed for qualifying 800 Meter run
(1)	(2)	(3)
1.	Male	2 Minute 40 Seconds (single attempt)
2.	Female	3 Minute 30 Seconds (single attempt)
3.	Ex Service men	3 Minute 15 Seconds (single attempt)

(ii) **Long Jump**

S.No.	Candidate	Minimum distance allowed for qualifying Long jump
(1)	(2)	(3)
1.	Male	13 feet (Three attempts)
2.	Female	10 feet (Three attempts)
3.	Ex Service men	10 feet (Three attempts)

(ii) **Shot put**

S.No.	Candidate	Minimum distance allowed for qualifying Shot put
(1)	(2)	(3)
1.	Male	19 feet (Three attempts) (weight of Shot put-7.260 k.g.)
2.	Female	15 feet (Three attempts) (weight of Shot put- 4 k.g.)
3.	Ex Service men	15 feet (Three attempts) (weight of Shot put-7.260 k.g.) .".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.